राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
पेंशन भवन, ज्योति नगर, जयपुर

क्रमांकः– निपेवि/ई–कुबेर/पीसी/2023–24 8092-K 12-5-23 दिनांकः–

कार्यालय–आदेश

वित्तीय वर्ष 2023–24 में पेंशनर्स को देय पेंशन में से आयकर कटौती किए जाने के लिए पेंशन विभाग की वेबसाईट पर निवेश की सूचना ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। जो पेंशनर्स आयकर सीमा में आ रहे है एवं पुरानी आयकर रिजीम का चयन करना चाहते हैं, वे पेंशन विभाग के **pension.rajasthan.gov.in** पोर्टल में पेंशनर्स लॉगिन में जाकर निवेश की सूचना/घोषणा निर्धारित प्रपत्र में भर कर ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। केवल ऑनलाइन घोषणा प्रस्तुत करने पर ही आयकर छूट का लाभ दिया जा सकेगा।

इसकी विस्तृत प्रकिया की जानकारी संलग्न है।

(संजय सोलंकी)
निदेशक

पेंशनर द्वारा आयकर हेतु निवेश की सूचना पेंशन पोर्टल पर दिए जाने हेतु प्रकियांः–

1. ब्राउजर पर गूगल खोले।

2. इस पर पेंशन साईट का नाम IFPMS अंकित करें।

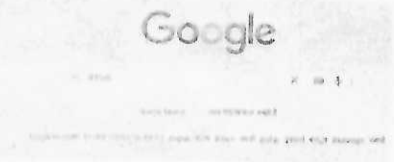

3. इसके पश्चात Pensioners Service में

Pensioner loginका उपयोग करे

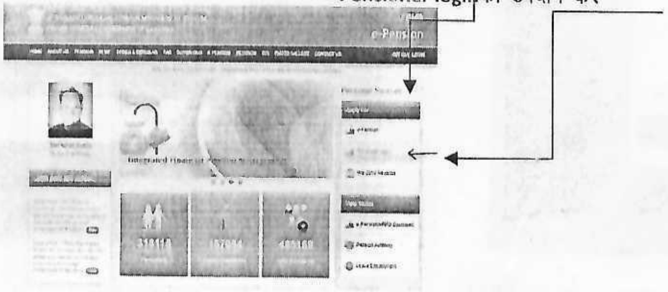

4. पेंशन साईट पर Login व Passward बनाने हेतु New Registrationपर क्लिक करे। उसके पश्चात Pensioner login का उपयोग करे।

5. New Registrationके सभी कॉलमों की पूर्ति करें एवं पूर्ति के पश्चात SUBMIT करके अपना User ID एवं Password सृजित (Create) कर लेवें। भविष्य में याद रखने के लिए इसे लिख कर रखें। (i) जैसे PPP न0 से ID बनाना। जैसे 1156780 (ii)जैसे Login हेतु प्रथम शब्द Captial दूसरा Small तीसरा शब्द स्पेशल शब्द फिर कोई भी 6 अंक डाल कर बनाना। जैसे:—Ga@120361	6.अब आप Pensioner Login में Using UserId को क्लिक कर सृजित ID एवं Passward अंकित कर पोर्टल पर पेंशनर को प्रदत सुविधाओं हेतु SUBMIT करें।

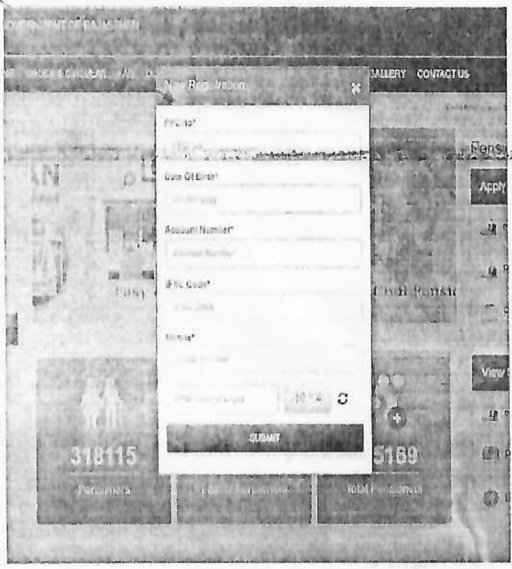

इसके पश्चात स्कीन पर निम्न विवरण प्राप्त होगा।

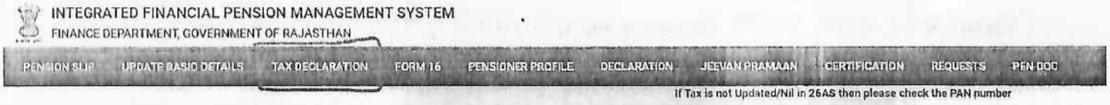

F.Y.	2023-24	A.Y.	2024-25

TAX DECLARATION वाले कॉलम में भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023—24 एवं कर निर्धारण वर्ष 2024—25 हेतु अधिनियम में घोषित प्रावधान के अनुसार देय आयकर के लिए (1) पुरानी व्यवस्था (Old Regime) व (2) नई व्यवस्था (New Regime) दोनों का प्रावधान किया गया है। पेंशनर्स ज़िनकी पेंशन से आय रू 5,00,000/- तक है,उनको यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

1- अगर पेंशनर Regime का चयन नही करता है, तो उसको By-Defalt नई व्यवस्था में (New Regime) माना जावेगा।
2- पेंशनर्स जो आयकर हेतु पुरानी व्यवस्था (Old Regime) का चुनाव करते है उन्हीं पेंशनर्स को पोर्टल में उपलब्ध आयकर गणना पत्र में चालू वित्त वर्ष का चयन कर इस वित्त वर्ष हेतु जो भी निवेश किया है या किया जाना है, उसकी सूचना उक्त आयकर गणना पत्र में भर कर प्रस्तुत करनी है।
   आयकर गणना पत्र को पूर्ण करने के पश्चात पेंशनर उक्त TAX DECLARATION फार्म को पेंशन पोर्टल पर SUBMIT/SAVE DRAFT कर दें।

नोटः— पेंशनर TAX DECLARATION गणना पत्रको पूर्ण सावधानी व विचार करके ही भरें क्योकि उक्त TAX DECLARATION गणना पत्र को एक बार SUBMIT/SAVE DRAFT करने के पश्चात उसमें किसी भी प्रकार परिवर्तन किया जाना संभव नही होगा।

(संजय सोलंकी)
निदेशक